	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 61/2025 अनवान अचलाराम वगैराह बनाम हनूमानराम वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
2/05/25	आदेश पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। मौजा जान्दुओ की ढाणी पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटड़ु जिला बाडमेर के खसरा संख्या 15 रकबा 4.5142 हैक्टयर, खसरा संख्या 199 रकबा 5.4931 हैक्टयर, खसरा संख्या 214 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा संख्या 215 रकबा 3.0580 हैक्टयर, खसरा संख्या 233 रकबा 2.8234 हैक्टयर, खसरा संख्या 329 रकबा 1.2782 हैक्टयर, खसरा संख्या 358 रकबा 1.0517 हैक्टयर, भूमि व मौजा खींपर पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटड़ु जिला बाडमेर के खसरा संख्या 331 रकबा 8.5188 हैक्टयर, भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जान्दुओ की ढाणी पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटड़ु जिला बाडमेर के खसरा संख्या 15 रकबा 4.5142 हैक्टयर, खसरा संख्या 199 रकबा 5.4931 हैक्टयर, खसरा संख्या 214 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा संख्या 215 रकबा 3.0580 हैक्टयर, खसरा संख्या 233 रकबा 2.8234 हैक्टयर, खसरा संख्या 329 रकबा 1.2782 हैक्टयर, खसरा संख्या 358 रकबा 1.0517 हैक्टयर, भूमि व मौजा खींपर पटवार क्षेत्र खींपर तहसील बाटड़ु जिला बाडमेर के खसरा संख्या 331 रकबा 8.5188 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाड़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	